रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276449
CG-DL-E-23092026-276449

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 771] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सं. 4/2026-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 841(अ).— जहां कि "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" (एतस्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत आता है, वियतनाम (एतस्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में, अधिसूचना फा. सं. 6/39/2024-डीजीटीआर, दिनांक 24 जून, 2026 के तहत, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तुओं को भारत में विषयगत देश से सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर निर्यात किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के आर्थिक सहायता प्राप्त आयातों के कारण सारवान क्षति हुई है,

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आता है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3824 99 00	कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")	15.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक जॉइंट स्टॉक कंपनी ("येनबाई")	15.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("नघे")	15.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट ग्रुप" के रूप में संदर्भित)	15.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

5	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	एडीसी प्लास्टिक, जेएससी	14.20	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	एन टिएन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी	13.42	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	विटाप्लास जॉइंट स्टॉक कंपनी (विटाप्लास)	9.11	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	वियतनाम इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंटरनेशनल जॉइंट स्टॉक कंपनी	16.03	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी	22.52	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	यूएस मास्टरबैच जॉइंट स्टॉक कंपनी - हुंग येन ब्रांच	22.52	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	69.19	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	69.19	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट 1: क्रम संख्या 1 से 8 तथा 11 और 12 के लिए, चूंकि ऊपर कॉलम (7) में उल्लिखित काउंटरवेलिंग ड्यूटी और विषयगत माल पर अधिसूचना संख्या 37/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत लगाई गई प्रतिपाटन शुल्क का योग संबंधित उत्पादकों की क्षति मार्जिन से अधिक नहीं है, अतः उपर्युक्त सारणी के कॉलम (7) में उल्लिखित काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रह किया जाएगा।

नोट 2: क्रम संख्या 9 और 10 के लिए, चूंकि ऊपर कॉलम (7) में उल्लिखित काउंटरवेलिंग ड्यूटी और विषयगत माल पर अधिसूचना संख्या 37/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत 'अवशिष्ट श्रेणी' में लगाई गई प्रतिपाटन शुल्क का योग संबंधित उत्पादकों की क्षति मार्जिन से अधिक है, अतः उपर्युक्त सारणी के कॉलम (7) में उल्लिखित काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रह नहीं किया जाएगा।

नोट 3: उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1 से 10 में उल्लिखित उत्पादकों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न होगी और उस अधिकारी का नाम तथा पद अंकित होगा, जो निम्नानुसार होगी:

> *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण वियतनाम में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और नियमों के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।*

2. इस अधिसूचना के तहत लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता या इसमें संशोधन नहीं किया जाता) लगाई जाएगी और भारतीय मुद्रा में देय होगी।

स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की जाती है, विनिर्दिष्ट की गई हो और विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत आगम पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/123/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

UNCOMPLICATE Simplifying compliance

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

No. 4/2026-Customs (CVD)

G.S.R. 841(E).— Whereas, in the matter of "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 3824 99 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification F. No. 6/39/2024-DGTR, dated the 24th June, 2026, has come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at subsidised prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of the subsidised imports of the subject goods from the subject country,

and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a countervailing duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial Number	Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3824 99 00	Calcium Carbonate Filler Masterbatch	Vietnam	Any country including Vietnam	European Plastic Joint Stock Company ("EuroPlast")	15.16	MT	USD
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company ("Yenbai")	15.16	MT	USD
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company ("Nghe")	15.16	MT	USD
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Polyfill joint stock company ("Polyfill") (collectively referred to as "Europlast Group")	15.16	MT	USD

5	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	ADC Plastic., JSC	14.20	MT	USD
6	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	An Tien Industries Joint Stock Company	13.42	MT	USD
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	9.11	MT	USD
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company	16.03	MT	USD
9	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	US Masterbatch Joint Stock Company	22.52	MT	USD
10	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	US Masterbatch Joint Stock Company - Hung Yen Branch	22.52	MT	USD
11	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any Producer	69.19	MT	USD
12	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any Producer	69.19	MT	USD

Note 1: For serial numbers 1 to 8, 11 and 12, since the sum of the countervailing duty mentioned in column (7) above and the anti-dumping duty imposed *vide* notification No. 37/2025-Customs (ADD), dated the 24th December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 920(E), dated the 24th December, 2025, for the subject goods does not exceed the respective injury margin of the producers, the countervailing duty mentioned in column (7) of the above Table shall be collected.

Note 2: For serial numbers 9 and 10, since the sum of the countervailing duty mentioned in column (7) above and the anti-dumping duty imposed under the residual category *vide* notification No. 37/2025-Customs (ADD), dated the 24th December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 920(E), dated the 24th December, 2025, for the subject goods exceeds the respective injury margin of the producers, the countervailing duty mentioned in column (7) of the above Table shall not be collected.

Note 3: The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned at serial numbers 1 to 10 in the Table above shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which there shall be affixed a declaration, dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his or her name and function, as follows:

> *"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in Vietnam. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.*

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*. -** For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/123/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA